



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
सहमीन
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

चिपकूट
कर्नी
191710030008834
411193002586

जारी दिनांक: 28/05/2019

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माना का नाम
निकासी
शाम
सहमीन
जिला

की अनुक्रम
की रास अरन
श्रीमती शिवाश्री
132, बसोह
बसोह
कर्नी
चिपकूट



उत्तर प्रदेश राज्य की कम्प्यूटर जाति के व्यक्ति है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1954 की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुक्रम पूर्वोक्त अधिनियम 1954 (एषा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं आमनादेश संख्या 22/16/92 टी० पी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से अन्वयित नहीं है। उनके माना-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के विभिन्न सफल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1953 में तथा विधिपुस्तक सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



SANJAY
KUMAR
SINGH

Digitally Signed by SANJAY
KUMAR SINGH
C=PERSONAL
O=CHIEF-CUM-SANJAY KUMAR
SINGH, SHUTTER
PRADESH

सहय अधिकारी/सहमीनदार
डिप्टिबल हस्ताक्षरित
कर्नी, चिपकूट
दिनांक: 28/05/2019